Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

SCMS-2021/43

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

सीताराम आदि बनाम सरकार

किस्म मुकदमा:– 136 एलआरएक्ट

नं. मुकदमा....36.... / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/02/21	आज यह पत्रावली तहसीलदार लूनकरनसर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मुरतीब की गई । दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रार्थी सीताराम आदि द्वारा निवेदन किया गया कि पटवार मण्डल कालवास के चक 14LKD के खाता संख्या 62 मु.नं. 52/17 कर किला नम्बर 1/3 रकबा 1.00 बीघा अनकमाण्ड दर्ज है तथा इसी प्रकार खाता संख्या 161 के मु.नं. 52/17 का कि. नं. 1/2 रकबा 0.18 बीघा अनकमाण्ड दर्ज रिकोर्ड हैं। जमाबन्दी संवत् 2058–62 में ना.सं. 224/14.03.05 में आवंटन में खाता संख्या के खातेदारान सम्परराय पुत्र तोलाचन्द जाति बरडिया साकिन लूनकरनसर विशेष आवंटन के नाम से दर्ज रिकोर्ड हैं। जबकि मु.नं. 52/17 का किला नम्बर 3 किसी भी खाते में दर्ज नही हैं। मु.नं. 52/17 का किला नम्बर 3 जमाबन्दी सम्वत 2055–58 में श्रीराम वल्द भीखाराम कौम जोतकी के नाम दर्ज हैं। जिसका वर्तमान जमाबन्दी में किला नम्बर 3 की जगह किला नम्बर 1/2 दर्ज हो गया। जो त्रुटिपूर्ण हैं। अतः मु.नं. 52/17 का किला नम्बर 1/3 की जगह किला नम्बर 3 जमाबन्दी में जोड़ा जाना उचित है की रिपोर्ट पटवार हल्का से प्राप्त हैं। हमने तहसीलदार लूनकरनसर से प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया । प्रस्ताव में पटवार हल्का कालवास की रिपोर्ट व भू. अभिलेख निरीक्षक की जांच टिप्पणी एवं तहसीलदार राजस्व लूनकरनसर द्वारा दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई हैं। संलग्न दस्तावेजो एवं रिपोर्ट अवलोकन बाद दुरूस्ती उचित प्रतीत होती हैं। अतः मुताबिक रिपोर्ट मु.नं. 52/17 का किला नम्बर 1/3 की जगह किला नम्बर 3 से सम्बन्धित सभी खातों में दोहरा इन्द्राज हो गया है जिसे दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार लूनकरनसर को मुताबिक आदेश दुरूस्ती अमलदरामद करने बाबत आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार हो कर हस्ब जाब्ता दाखिल दफत्तर हों। 12/2/2021 (भागीरथ शाख) उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:53:46 IST
Reason: SelfAttested